छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक–7/ए, द्वितीय तल,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड कार्यालय हेतु मानव संसाधन भृत्य/चौकीदार, की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निविदा–प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक –125 रायपुर, दिनांक : 17/05/2021

–: निविदा प्रपत्र :–

निविदाकार/फर्म का नाम एवं पता :– .....

.....

निविदा प्रपत्र का शुल्क	निरंक
अमानत राशि	1,00,000.00 (एक लाख रू. मात्र)
निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि	18/05/2021
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	17/06/2021 अपसान्ह 1 बजे तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	17/06/2021 अपरान्ह 2 बजे

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक–7/ए, द्वितीय तल, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

निविदा की नियम एवं शर्तें

1. सेवा प्रदाता द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निर्दिष्ट स्थानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपार्जन एवं भण्डारण का कार्य सम्पादन हेतु भृत्य/चौकीदार (12) की सेवाएं मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे। मानव संसाधन की संख्या में बढ़ोत्तरी या कमी सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा की जा सकती हैं।

2. निविदाकारों को अमानत राशि के रूप में रू. 1,00,000.00/– (एक लाख रूपये मात्र) छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से रायपुर में देय बैंक ड्राफ्ट पृथक से लिफाफा में जमा किया जाना अनिवार्य है। सफल निविदाकार की जमा अमानत राशि अनुबंध के समय जमानत राशि के रूप में सम्मिलित की जावेगी।

3. सफल निविदाकार की अमानत राशि धरोहर राशि के रूप में रखी जावेगी और सेवा अवधि संतोषप्रद समाप्ति के पश्चात् वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।

4. **प्लेसमेंट एजेंसी की पात्रता हेतु न्यूनतम मापदण्ड :–**

   I. शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। साक्ष्य हेतु नियोक्ता द्वारा जारी कम से कम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र एवं संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   II. गत तीन वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 का वार्षिक टर्न ओवर (संबंधित क्षेत्र) में कम से कम एक वर्ष में रू. 25 लाख होने का चार्टेड एकाउंटेन्ट से सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र में मानव संसाधन सेवा प्लेसमेंट सर्विस के टर्नओवर का उल्लेख होना आनिवार्य है।

   III. एम्प्लाईज प्रोविडेन्ट फंड, लेबर एक्ट, जीएसटी, ईएसआईसी आदि के अंतर्गत वैध पंजीयन हो। पंजीयन प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा करना अनिवार्य होगा। टेक्नीकल बिड क्वालीफाई होने के उपरांत ही प्राईज बिड खोली जावेगी।

   IV. एजेंसी का रजिस्टर्ड ऑफिस छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित होना चाहिए। इस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

   V. आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी लेखा संख्या/पेन नम्बर/जीएसटी नंबर प्राप्त हो, पेन कार्ड एवं जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

   VI. विगत तीन वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में से कम से कम दो Assessment Year का आयकर रिटर्न एवं माह मार्च–2021 की जमा GST-R1 एवं GST-R3 B भी रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

VII. निविदा की शर्तो के अर्न्तगत मानव संसाधन की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं मासिक मानदेय (प्रति व्यक्ति/प्रतिमाह) निम्नानुसार होगी :–

क्र.	पदनाम	संख्या	अनुमानित मानदेय एकमुश्त (प्रतिमाह/प्रति व्यक्ति)	शैक्षणिक योग्यता
4.	भृत्य/चौकीदार	13	11,360.00	कक्षा दसवीं उत्तीर्ण ।

प्लेसमेंट एजेंसी को छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सूचना दिये जाने पर उक्त वर्णित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव रखने वाले मानव संसाधन, सूचना प्राप्त होने के 07 (सात) दिवस के भीतर उपलब्ध कराना होगा। कर्मियों की सख्या में कमी या बढोत्तरी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा समय–समय पर की जा सकेगी। प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी कर्मी प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा नियोजित होंगे तथा कर्मियों एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के मध्य सेवक एवं नियोजक का संबंध नहीं रहेगा। यदि कोई कर्मी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता या अनुशासनहीन होना पाया जाता है तो सूचना प्राप्त होने पर प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उसे तत्काल वापस लेना होगा तथा यदि आवश्यक हो तो उसके बदले अन्य कर्मी भेजना होगा। यदि नियोजित कर्मी द्वारा निगम/विभाग को आर्थिक हानि पहुँचाई जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति की जवाबदारी प्लेसमेंट एजेंसी पर ही होगी। कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा मेडिकल फिटनेस, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण सत्यापन आदि का उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेंसी पर होगा।

VIII. निविदा की स्वीकृति पत्रक जारी होने के सात दिनों के भीतर सफल निविदाकार को 100/– मात्र के नॉन–ज्यूडिसियल स्टॉम्प में अनुबंध करना होगा। निविदा के अंतर्गत अनुबंध की अवधि 01 (एक) वर्ष की होगी, जिसे प्रथम पक्षकार द्वारा आवश्यकता अनुसार आपसी सहमति से एक–एक वर्ष कर आगामी 03 (तीन) वर्ष तक वृद्धि की जा सकती है। सफल निविदाकार द्वारा सात दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन न करने की स्थिति में अथवा सेवा संतोषप्रद न पाये जाने पर निविदाकर्ता की अमानत/सुरक्षा राशि राजसात करते हुए भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदा हेतु काली सूची में डाल दिया जाएगा।

5. **प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन कर्मियों को भुगतान** :– प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन कर्मियों को एकमुश्त देयक राशि का भुगतान प्रतिमाह किया जावेगा । निर्धारित एकमुश्त राशि में से प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किसी प्रकार सेवा शुल्क की कटौती नहीं की जावेगी परंतु नियमानुसार कर्मियों से प्रदत्त भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के अंश की कटौती ही की जायेगी तथा शेष राशि का भुगतान संबंधित कर्मी के बैंक खातों में जमा कर करना होगा। ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. आदि कटौती उपरांत जमा किये गये चालान/रसीद एवं जी.एस.टी. की सत्यापित छायाप्रति कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना होगा।

6. **प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला वित्तीय प्रस्ताव :–**

I. प्लेसमेंट एजेंसी को उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखकर, नियमों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं में जमा किए जाने वैधानिक देय राशि का **स्पष्ट उल्लेख दर संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट–1 में करना होगा।**

II. सेवा अनुबंध अवधि 01 (एक) वर्ष की होगी, जिसे प्रथम पक्षकार द्वारा आवश्यकता अनुसार आपसी सहमति से एक–एक वर्ष कर आगामी 03 (तीन) वर्ष तक वृद्धि की जा सकती है।

III. यदि दो या अधिक निविदादाता को वित्तीय मूल्यांकन में समान दर प्राप्त होते है, तो कार्य का आबंटन हेतु निविदाकार को निविदा समिति के समक्ष वर्तमान में पंजीकृत मानव संसाधन की योग्यता का प्रस्तुतीकरण करना होगा। तत्पश्चात् निविदा समिति सफल प्रस्तुतीकरण करने वाले निविदाकार की दरें स्वीकृति करने की अनुशंसा करेगी।

IV. परिशिष्ट 01 में दिये गये प्रारूप में आपको निविदा की दर भरी जानी है।

7. निविदादाता एजेंसी/फर्म/संस्था का छत्तीसगढ़ स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि कर्मचारी संगठन में पंजीकृत होना अनिवार्य है, पंजीयन की छायाप्रति संलग्न किया जावे। अन्य राज्य में पंजीकृत इकाई की निविदा मान्य नहीं किया जावेगा।

8. निविदादाता का राशि रू. 10.00 लाख का बैंक साल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. अनुबंधित संस्था/फर्म/एजेंसी का मासिक भुगतान माह समाप्ति पश्चात् किया जावेगा। विगत माह के जी.एस.टी./ पी.एफ./इ.एस.आइ.सी. की जमा राशि की पावती देयक के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. मानव संसाधन कर्मी के प्रतिमाह अंशदान की राशि निर्धारित मानदेय/वेतन में सम्मिलित रहेगी तथा नियमानुसार कटौती कर जमा करने की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी।

11. **यदि कोई भी फर्म निरंक चार्जेस की राशि निविदा में भरता हैं तो इस तरह की निविदा दर को गैर–जिम्मेदार माना जाएगा और इस पर विचार नही किया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित टीडीएस एवं अन्य तरह के दायित्व की वैधानिक कटौती को पुरा करने के लिए सेवा शुल्क पर्याप्त होना चाहिए। निविदा में भरी गई दरें/सेवा शुल्क की राशि वैधानिक कटौती से कम हैं तो इस तरह की निविदा को सरसरी तौर पर अमान्य कर दिया जाएगा। सर्विस चार्ज टीडीएस की राशि से अधिक होना अनिवार्य होगा।**

12. निविदाकार निविदा फार्म अविकल्प रूप से बिना कोई पृष्ठ अलग किये विधिवत पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करेगा और उसके सभी पृष्ठ पर नीचे सील सहित हस्ताक्षर करेगा।

निविदाकार को **अमानत राशि एक पृथक लिफाफे (लिफाफा–ए)** में रख कर देना होगा एवं वांछित दस्तावेज यथा फर्म का पंजीयन, कर्मचारी भविष्य निधि पंजीयन, जीएसटी, अनुभव प्रमाण–पत्र, आयकर रिटर्न आदि **एक लिफाफे (लिफाफा–बी)** में रख कर प्रस्तुत किया जाना होगा एवं लिफाफे पर स्पष्ट रूप से टेक्निकल बिड लिख कर प्रस्तुत करना होगा।

प्राईज बिड अन्य लिफाफे **(लिफाफा–सी)** में **"जिस पर प्राईज बिड लिखा हुआ हो, भरकर प्रस्तुत करना होगा।"**

उपरोक्तानुसार निविदाकार को अमानत राशि, टेक्निकल एवं प्राईज बिड अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् तीनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे पर भृत्य/चौकीदार कार्य में दक्ष मानव संसाधन की सेवाएं लिख कर प्रस्तुत करना होगा। प्रस्ताव जमा किये जाने की

अंतिम तिथि **17/06/2021 को अपरान्ह 1:00 बजे तक है।** निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

13. निविदाकार को, शासन द्वारा निर्धारित प्रतिमाह मानदेय वेतन **भृत्य/चौकीदार हेतु राशि रू. 11360.00/– प्रतिमाह** है। निविदाकार द्वारा इस दर को ध्यान में रख कर ही **परिशिष्ट–1** में निविदा दरें भरी जायेगी।

14. यदि निविदाकार कंपनी हो तो कंपनी का MOA संलग्न करना अनिवार्य होगा। फर्म पार्टनरशीप फर्म अथवा प्रोपराइटरशीप फर्म होने की दशा में भागीदारी फर्म का डीड अथवा पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कंपनी की दशा में MOA में मानव संसाधन आपूर्ति करने का उद्देश्यिका कंडिका में स्पष्ट रुप से उल्लेख होना चाहिये।

15. फर्मो को अब तक उनके द्वारा देय जीएसटी, ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा करने, कोई देय राशि बकाया न होने, एवं किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र **परिशिष्ट–2** में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

16. निविदा दस्तावेजों में संलग्न की जाने वाली अनिवार्य दस्तावेज :–

- अमानत राशि रू. 1,00,000/– का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न (Refundable) (शर्त क्र. 2)
- 02 वर्षों का अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र/पत्रक संलग्न (शर्त क्र. 4.1)
- गत वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 का वार्षिक टर्न ओवर (संबंधित क्षेत्र) में कम से कम एक वर्ष में रू. 25 लाख होने का चार्टेड एकाउंटेन्ट से सत्यापित प्रमाण पत्रसंलग्न (शर्त क्र. 4.2)
- रजिस्टर्ड हेड ऑफिस छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित होने का प्रमाण–पत्र (शर्त क्र.4.4)
- पैन नंबर की छायाप्रति संलग्न (शर्त क्र. 4.5)
- जी.एस.टी. नंबर पंजीयन की जीवित छायाप्रति संलग्न (शर्त क्र. 4.5)
- विगत तीन वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में से दो वर्ष का आयकर रिटर्न एवं माह मार्च–2021 की जमा GST-R1 एवं GST-R3 B रिटर्न की छायाप्रति संलग्न (शर्त क्र. 4.6)
- राशि रू. 10.00 लाख का बैंक साल्वेंसी प्रमाण पत्र (शर्त क्र. 9)
- ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र (शर्त क्र. 15)
- लेबर एक्ट वैध पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न (अन्य शर्त क्र. 2)

अन्य शर्तें :–

1. नियोजित कर्मियों के मामले में संबंधित विभाग में जमा की गयी राशि की रसीद की छायाप्रति प्रतिमाह छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड में प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरांत ही अगला भुगतान किया जावेगा।

2. प्लेसमेंट एजेंसी श्रम कानूनों का पालन करने के लिए स्वयं जवाबदार रहेगी एवं आवश्यक पंजीयन संबंधित विभाग से प्राप्त करेगी एवं प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

3. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराते समय सभी संबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश मय परिचय पत्र छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाना होगा कर्मचारी की न्यूनतम योग्यता की पूर्ति करने की संपूर्ण जानकारी प्लेसमेंट एजेंसी की होगी।

4. उक्त कर्मियों का E.P.F. एवं E.S.I.C. कटौती नियमानुसार करना होगा। नियोजित कर्मियों की वर्णित एकमुश्त मासिक राशि का भुगतान E.P.F. एवं E.S.I.C. कटौती प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किया जायेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी को एकमुश्त देय राशि माह समाप्ति पर देयक प्रस्तुत किये जाने के उपरांत नियमानुसार ही किया जायेगा। स्वीकृत दर के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। GST-R1 एवं GST-R3 B की मासिक विवरण की प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5. प्रत्येक कर्मचारी का कार्य 08 घंटे प्रतिदिन का होगा तथा संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य का समय निर्धारित किया जा सकेगा।

6. संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शित अर्हता के अनुरूप मानव संसाधन, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहमति के उपरांत ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

7. कार्यालयीन समय में कोई भी कर्मचारी बिना संबंधित अधिकारी की अनुमति के कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

8. उपलब्ध कराये जा रहे कर्मियों को एक वर्ष में कुल 18 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेंगी, किन्तु एक बार में निरंतर तीन दिवस से अधिक आकस्मिक अवकाश लेने पर अवैतनिक किया जावेगा।

9. कार्य के दौरान प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा संतोषप्रद सेवायें प्रदान न करने की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड एक सप्ताह के लिखित नोटिस के उपरांत उत्तर संतोषप्रद न पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर सकेगा।

10. सभी कर्मचारी कार्यालय में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें कार्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपत्ति हो। यदि आवश्यक हुआ तो या छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी के कहने पर अथवा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जिससे निगम को किसी भी प्रकार की हानि हो, ऐसी स्थिति में प्लेसमेंट एजेंसी को खराब आचरण करने वाले कर्मी को तत्काल बदलना होगा।

11. कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय नवा रायपुर के आदेश से किया जा सकेगा।

12. शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी., ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. एवं सर्विस चार्ज सहित एक मुश्त दरें संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें।

13. मानदेय/वेतन की दरें शासन द्वारा परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार दर प्रबंध संचालक द्वारा स्वीकृति उपरांत संशोधित की जा सकेगी, इस पर अंतिम निर्णय का अधिकार निगम को होगा।

14. सेवा प्रदाता द्वारा प्रदाय किये जाने वाले व्यक्ति छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे।

15. उपरोक्त शर्तो का पालन नहीं करने पर संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी को तीन वर्षो हेतु ब्लेक लिस्टेड करते हुए अमानत/जमानत राशि राजसात की जावेगी।

16. उभय पक्षों के मध्य इस निविदा तथा अनुबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने के 60 दिवस के भीतर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोशन को निराकरण हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे। जिसका निराकरण प्रस्तुति दिनांक से 30 दिन के भीतर किया जावेगा। उक्त 30 दिनों की समय सीमा उभयपक्षों के द्वारा आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है। यदि कोई पक्ष, प्रबंध संचालक द्वारा पारित निर्णय से सहमत नहीं हो तो, क्षुब्ध पक्ष उक्त विवाद को निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण, रायपुर में निर्णय हेतु प्रस्तुत कर सकता है। जिसका निराकरण छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के तहत होगा, जो अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

17. मानव संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। जिन लोगों को फर्म ने निगम में काम करने के लिए प्रस्तावित या चयनित किया है, उनकी योग्यता का भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी फर्म की होगी। अगर किसी ऐसे व्यक्ति जिसको फर्म ने नाम प्रस्तावित या चयनित कर निगम में कार्य करने हेतु भेजा है, तो उसकी शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों को वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी फर्म की होगी, न की निगम की।

18. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने, नियम शर्तों को शिथिल करने तथा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित रहेगा।

19. बिना कारण बताए निविदा में प्राप्त दरों को मान्य अथवा अमान्य करने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

20. अनुबंध के अंतर्गत जमा अमानत राशि की वापसी अनुबंध समाप्ति के 12 माह पश्चात् होगा। इस दरम्यान यदि मानव संसाधन की सेवा किये व्यक्ति की शिकायत अथवा किसी वैधानिक संस्था द्वारा निविदाकार द्वारा दायित्वों की पूर्ति नहीं करने के संबंधी शिकायत पत्र प्राप्त होता है तो निगम द्वारा ऐसी दायित्वों का पालन करते हुए संबंधित संस्थान /व्यक्ति को राशि का भुगतान करते हुए भुगतान किये गये राशि का तीन गुना राशि दण्ड स्वरूप जमा अमानत राशि अथवा निविदाकार को देय राशि से कटौत्रा किया जावेगा। इस बाबत् निविदाकार की कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

महाप्रबंधक (प्रशासन)
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज
कार्पोरेशन लिमिटेड

परिशिष्ट–1

(1) हमें निविदा की सभी शर्ते स्वीकार है। हमें शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में मानव संसाधन उपलब्ध कराने का अनुभव है, जिसके संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न कर रहे है। हम इस निविदा के अंतर्गत निम्नांकित पदनाम के मानव संसाधन कर्मी के समक्ष दर्शायी गई एकमुश्त मासिक देय राशि की दर से बिना किसी कटौती किये (वैधानिक कटौती को छोड़कर) भुगतान करने का वचन देते है –

क्र.	मानव संसाधन पदनाम	शुद्ध मासिक देय राशि प्रति व्यक्ति
4	भृत्य/चौकीदार	11360/–(ग्यारह हजार तीन सौ साठ)

(2) उपरोक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिये एक मुश्त देय कुल राशि पर हमारा सुपरविजन एण्ड मैनेजमेंट चार्जेस.....(शब्दों में.....) प्रति व्यक्ति मासिक होगा जिसका भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हमें उपरोक्त के अतिरिक्त किया जावेगा। सूपर विजन एण्ड मैनेजमेंट चार्जेस पूर्णांक में भरना अनिवार्य होगा। दशमलव में भरें गये निविदा दरों को अमान्य किया जावेगा।

(3) उपरोक्त कण्डिका 1 एवं 2 के अतिरिक्त निम्नांकित राशि का भुगतान विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत हमारे द्वारा किया जावेगा। जिसकी प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मासिक आधार पर देयक के साथ हमें की जावेगी।

क्र	मद	वैधानिक पंजीयन क्र.	प्रतिशत
1	इम्प्लायर प्रोविडेन्ट फण्ड (EPF)		13%
2	ई.एस.आई. (ESIC)		3.25%
3	जीएसटी (GST)		18%
4	अन्य (OTHER)		

(4) निर्धारित एकमुश्त राशि में से प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा किसी प्रकार सेवा शुल्क या अन्य मद में न ही कटौती की जा सकेगी या न ही वसूल की जा सकेगी। परंतु नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा की कटौती एवं अन्य संवैधानिक कटौती ही की जाएगी तथा शेष राशि का भुगतान संबंधित कर्मी के बैंक खातों में करना होगा।

(5) हमारे द्वारा वैधानिक देय राशियों का भुगतान नियत समय के भीतर की जाएगी एवं प्रत्येक माह देय जमा राशि का विवरण, चालान/पावती छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड में

जमा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त संदाय संबंधी जो भी जानकारी व दस्तावेज आपके द्वारा मांगे जायेंगे, तत्काल उपलब्ध कराया जावेगा।

(हस्ताक्षर)

नाम :–

पदनाम :–

मोबाईल नं. :–

दूरभाष नं. :–

(संस्था की सील)

परिशिष्ट–2

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ पत्र

मैं ..... संस्था प्रमुख निवासी ..... छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन द्वारा जारी निविदा प्रारुप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रुप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा देय जी.एस.टी. ई.पी.एफ. ई.एस.आई.सी. अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आावेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जाएगी। मुझे छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था ..... किसी शासकीय विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में) नहीं है।

स्थान .....

दिनांक .....

फर्म के मालिक/अधिकृत हस्ताक्षकर्ता
का हस्ताक्षर

पूरा नाम .....

संस्था का नाम .....

संस्था का सील